रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 404] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 11, 1972/भाद्र 20, 1894

No. 404] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 11, 1972/BHADRA 20, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

NOTIFICATIONS

INSURANCE

New Delhi, the 11th September 1972

S.O. 588(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (5) of section 5 of the Emergency Risks (Goods) Insurance Act, 1971 (50 of 1971), the Central Government hereby makes the following scheme further to amend the Emergency Risks (Goods) Insurance Scheme published with the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue & Insurance) No. S.O. 5483, dated the 10th December, 1971, namely:—

(1) This Scheme may be called the Emergency Risks (Goods) Insurance (Third Amendment) Scheme, 1972.

(2) It shall come into force on the 1st day of October, 1972.

2. In the Emergency Risks (Goods) Insurance Scheme for sub-paragraph (1) of paragraph 10, the following sub-paragraph shall be substituted namely:—

"(1) The premium payable under any policy of insurance in respect of the quarter ending on the 31st day of December, 1972, shall,—

(a) in respect of a policy of insurance in force on the 30th September, 1972, be nil;

(b) in the case of all new policies including supplementary policies to the existing ones, be at the rate of sir paise for every hundred rupees or any part thereof of the sum insured."

[No. F. 66(13)-Ins.I/71-I.]

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

अधिसूचनाएं

बीमा

नई दिल्ली, 11 सितम्बर, 1972

का० आ० 588(अ).—आपात जोखिम (माल) बीमा अधिनियम, 1971 (1971 का 50) की धारा 5 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार, के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की तारीख 10 दिसम्बर, 1971 की अधिसूचना सं० का० आ० 5483 के साथ प्रकाशित आपात जोखिम (माल) बीमा स्कीम में और संशोधित करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अर्थात् :—

(1) इस स्कीम का नाम आपात जोखिम (माल) बीमा (तृतीय संशोधन) स्कीम, 1972 होगा ।

(2) यह अक्टूबर 1972 के प्रथम दिन को प्रवृत्त होगी ।

2. आपात जोखिम (माल) बीमा स्कीम में, परा 10 के उप पैरा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपपैरा प्रतिस्थापित किया जायगा, अर्थात् :—

(1) बीमा की किसी पालिसी के अधीन, दिसम्बर, 1972 के इकतीसवें दिन को समाप्त होने वाली तिमाही की बाबत संदेय प्रीमियम, —

(क) 30 सितम्बर, 1972 को प्रवृत्त बीमा की पालिसी की बाबत, शून्य होगा

(ख) सभी नई पालिसियों की दशा में, जिनके अन्तर्गत विद्यमान पालिसियों की अनुपूरक पालिसियां भी आती हैं, बीमाकृत राशि के प्रत्येक सौ रुपये या उसके किसी भाग के लिए छह पैसे की दर पर होगा ।

[सं० फा० 66(13)–बीमा 1/71–1]

S.O. 589(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (6) of section 3 of the Emergency Risks (Undertakings) Insurance Act, 1971 (51 of 1971), the Central Government hereby makes the following Scheme further to amend the Emergency Risks (Undertakings) Insurance Scheme published with the Notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue & Insurance) No. S.O. 5486, dated the 10th December, 1971, namely:—

(1) This Scheme may be called the Emergency Risks (Undertakings) Insurance (Third Amendment) Scheme, 1972.

(2) It shall come into force on the 1st day of October, 1972.

2. In the Emergency Risks (Undertakings) Insurance Scheme, for sub-paragraph (1) of paragraph 8, the following sub-paragraph shall be substituted, namely:—

"(1) The premium payable under any policy of insurance in respect of the quarter ending on the 31st day of December, 1972, shall,—

(a) in respect of a policy of insurance in force on the 30th September, 1972, be nil;

(b) in the case of all new policies, including supplementary policies to the existing ones, be at the rate of ten paise for every hundred rupees or any part thereof of the sum insured."

[No. F. 66(13)-Ins.I/71.II.]

A. RAJAGOPALAN,
Officer on Special Duty & *Ex-officio* Addl. Secy.

का० आ० 589(अ) —आपात जोखिम (उपक्रम) बीमा अधिनियम, 1971 (1971 का 51) की धारा 3 की उपधारा (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की तारीख 10 दिसम्बर, 1971 की अधिसूचना सं० का० आ० 5486 के साथ प्रकाशित आपात जोखिम (उपक्रम) बीमा स्कीम में और संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अर्थात् :—

(1) इस स्कीम का नाम आपात जोखिम (उपक्रम) बीमा (तृतीय संशोधन) स्कीम, 1972 होगा ।

(2) यह अक्तूबर 1972 के प्रथम दिन को प्रवृत्त होगी ।

2. आपात जोखिम (उपक्रम) बीमा स्कीम में, पैरा 8 के उपपैरा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपपैरा प्रतिस्थापित किया जायगा, अर्थात् :—

"(1) बीमा की किसी पालिसी के अधीन, दिसम्बर, 1972 के इकतीसवें दिन को समाप्त होने वाली तिमाही की बाबत सदेय प्रीमियम—

(क) 30 सितम्बर, 1972 को प्रवृत्त बीमा की पालिसी की बाबत, शून्य होगा;

(ख) सभी नई पालिसियों की दशा में, जिनके अन्तर्गत विद्यमान पालिसियों की अनुपूरक पालिसियां भी आती हैं, बीमाकृत राशि के प्रत्येक सौ रुपये या उसके किसी भाग के लिए दस पैसे की दर पर होगा ।"

[सं० फा० 66(13)-बीमा 1/71-II]

अ० राजगोपालन,

विशेष कार्य अधिकारी और पदेन अपर सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972